



इन्दिरा गॉधी कृषि विश्वविद्यालय  
दाऊ कल्याण सिंह कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र  
भाटापारा – 493 118 (छ.ग.)

E-mail: dkscars@rediffmail.com

क्रमांक / शैक्ष. / 2023-24 /

भाटापारा, दिनांक: /06/2024

विज्ञापन

दाऊ कल्याण सिंह कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, भाटापारा में संचालित बी.एस.सी. (कृषि) पाठ्यक्रम में अध्यापन कार्य हेतु निम्न विषया में अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है :-

क्रमांक	विषय	पद की संख्या
01	कृषि अर्थशास्त्र	01

1. अतिथि शिक्षक हेतु योग्यता :-

1. Master degree in relevant subject of Agriculture faculty with least 55% marks (or equivalent grade 6.50 10.00 scales) with good academic record.
2. For the candidates having Master degree. NET (National Eligibility Test) shall remain compulsory along with one publication in NAAS (National Academy of Agricultural Science, New Delhi) rated referred journal for recruitment to the post of Assistant Professor and equivalent in the disciplines in which NET is conducted. Essentiality of NET can be waved off for the candidates holding Ph.D. Degree provided it has been done with course work as prescribed by the UGC Regulations 2009 and the candidate has at least two full length publication having a NAAS rating not less the 4, on the last date of submission of application. Those candidates with Ph.D. degree without course work will not qualify for NET exemption.

2. मानदेय एवं भत्ते :-

- अतिथि शिक्षकों पीएच.डी. एवं नेट उत्तीर्ण हेतु मानदेय 1800/- रु. प्रति कार्य दिवस (अधिकतम 40,000/- रु. प्रतिमाह) दिया जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है ।
- ऐसे अतिथि शिक्षक जो पीएच.डी. उत्तीर्ण है परन्तु नेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है उन्हें मानदेय 1,800/- रु. प्रति कार्य दिवस (अधिकतम 40,000/- रु. प्रतिमाह) दिया जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है ।
- ऐसे अतिथि शिक्षक जो नेट परीक्षा उत्तीर्ण है किन्तु पीएच.डी. उत्तीर्ण नहीं है उन्हें मानदेय 1,500/- रु. प्रति कार्य दिवस (अधिकतम 36,000/- रु. प्रतिमाह) दिया जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है ।


- अतिथि शिक्षकों जो पीएच.डी. एवं नेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हैं उन्हें मानदेय 1,200/- रु. प्रति कार्य दिवस (अधिकतम 26,000/- रु. प्रतिमाह) दिया जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया ।
  - अतिथि शिक्षक को इस मानदेय के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के भत्तों एवं सुविधाओं की पात्रता नहीं होगी ।
3. आयु सीमा :- अंशकालीन शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जावेगी किन्तु इसी प्रकार की छूट मिलाकर अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी । छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयु की अधिकतम सीमा में यदि वृद्धि अथवा संशोधन किया जाता है तो वे प्रावधान अतिथि शिक्षकों के लिए लागू होंगे ।
  4. इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा एवं समस्त दस्तावेज [dkscars@rediffmail.com](mailto:dkscars@rediffmail.com) पर दिनांक 05.07.2024 तक प्रेषित करें ।
  5. चयनित अतिथि शिक्षक का कार्यकाल शैक्षणिक सत्र 2023-24 में संचालित कोर्स हेतु होगा । आवेदन पत्रों के संवीक्षण (Scrutiny) के बाद पात्र आवेदकों को साक्षात्कार हेतु सूचना दी जावेगी ।
  6. सूची के अनुसार उम्मीदवार 12.07.2024 को कृषि महाविद्यालय, रायपुर में साक्षात्कार हेतु प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होना होगा ।
  7. साक्षात्कार के समय सभी दस्तावेजों की मूलप्रति व स्व-सत्यापित छायाप्रति साथ लावें ।
  8. साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा ।
  9. अतिथि शिक्षक को समय समय पर महाविद्यालय की शैक्षणिक, परीक्षा, प्रयोगशाला आदि गतिविधियों में निर्देशानुसार कार्य करना होगा ।
  10. अतिथि शिक्षकों की विस्तृत नियमावली विश्वविद्यालय की वेबसाइट से (क्रमांक/स्था. -04/नस्ती क्र.-49/2022/2731 रायपुर दिनांक 01.08.2022) देखा जा सकता है ।

अधिष्ठाता

क्रमांक/अधि./शैक्ष./2023-24/340  
प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

भाटापारा, दिनांक: 27/06/2024

1. कुलसचिव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर ।
2. सर्वर प्रभारी, विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.igau.ac.in](http://www.igau.ac.in) में प्रविष्ट करने का कष्ट करेंगे ।

  
27/6/2024  
अधिष्ठाता